राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांकः–एफ17(8)23 / डीईएस / रा.ज.आ.यो / प्र.प्र. / 2020 / दिनांकः22.07.2020

1. एस.ए. / एसीपी,
   जिला सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, समस्त।
2. उप / सहायक निदेशक,
   जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त।

विषयः–जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोक कल्याणकारी योजनाओं के हस्तांतरित लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन सामाजिक अंकेक्षण हेतु राज्य के जन सूचना पोर्टल–2019 पर अपलोड के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 18.12.2019 से राज्य में लागू राजस्थान जन–आधार योजनान्तर्गत जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के दिनांक 18.12.2019 से 30.06.2020 तक की अवधि में हस्तांतरित लाभों का ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ग्राम पंचायतवार एवं शहरी क्षेत्रों हेतु वार्ड संख्यावार प्रशासनिक प्रतिवेदन राज्य के जन सूचना पोर्टल 2019 पर सामाजिक अंकेक्षण हेतु अपलोड कर दिये गये है। इन प्रशासनिक प्रतिवेदन को जन सूचना पोर्टल पर देखने की प्रक्रिया का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

इस क्रम में कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त ग्राम पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों के समस्त वार्डों का प्रशासनिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रक्रियानुसार डाउनलोड हो रहा है एवं इसमें किसी प्रकार की विसंगति नही है। इस संबंध में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो जिले की इकजाई सूचना निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 29.07.2020 तक जरिये ई–मेल **janaadhaar.des@rajasthan.gov.in** पर आवश्यक रूप से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि इन प्रशासनिक प्रतिवेदनों को सामाजिक अंकेक्षण हेतु आमजन को अवगत कराया जा सके।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांकः–एफ17(8)23 / डीईएस / रा.ज.आ.यो / प्र.प्र. / 2020 / दिनांकः22.07.2020

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (जन–आधार), राजकॉम्प, योजना भवन, जयपुर।
5. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निकाय आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
6. समस्त ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी / प्रोग्रामर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संयुक्त निदेशक, जन आधार

जन सूचना पोर्टल पर प्रशासनिक प्रतिवेदन को देखने की प्रक्रिया

https://jansoochna.rajasthan.gov.in/

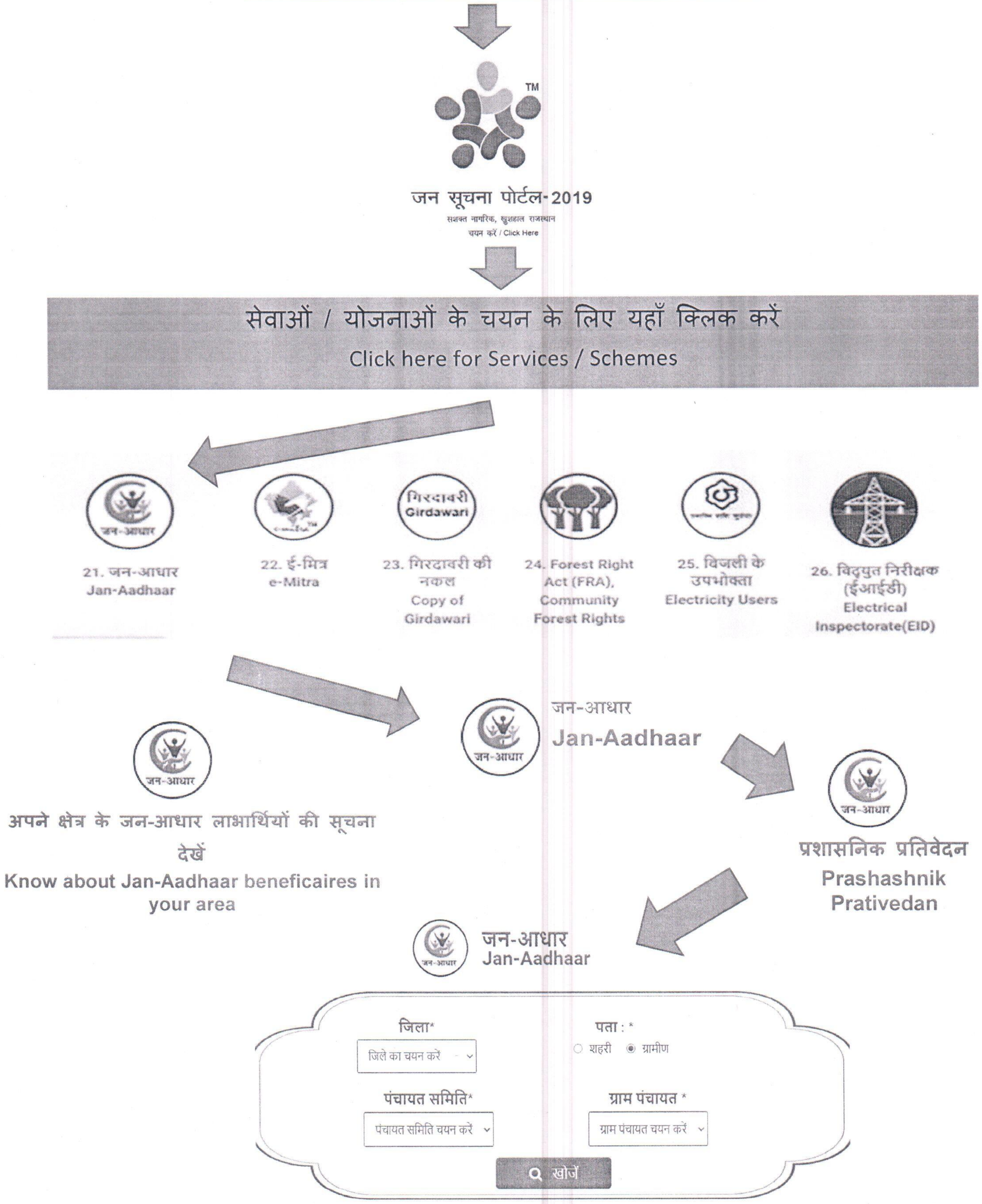

प्रपत्र

जिले का नामः—

1. जन सूचना पोर्टल से वांछित प्रशासनिक प्रतिवेदन डाउनलोड नहीं हो रहे, का विवरण

	ग्रामीण		शहरी	
क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय	वार्ड संख्या

2. जन सूचना पोर्टल से वांछित प्रशासनिक प्रतिवेदन डाउनलोड होने के पश्चात पाई गयी विसंगति, का विवरण

ग्रामीण :—

क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत का नाम	विसंगति का विवरण

शहरी :—

क्र.सं.	नगर निकाय	वार्ड संख्या	विसंगति का विवरण